

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोघर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 11 सन 2020

अनवान :-

1. मीरा पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवारी झेदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 7/8/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक् , 617/577 की 2.2530हैक् भूमि सायला के नाम से दर्ज है जिसमें सायला का नाम मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज है


सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि विरास्तन से दर्ज करते समय पति के स्थान पर पिता का नाम दर्ज करने के कारण मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम-राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल में सायला का नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक् , 617/577 की 2.2530हैक् भूमि में प्रार्थीया का नाम मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज के स्थान पर मीरा पत्नी रामेश्वरलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेशोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थीया का नाम संशोधन किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक् , 617/577 की 2.2530हैक् भूमि सायला के नाम से दर्ज है जिसमें सायला का नाम मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज है


उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि विरास्तन से दर्ज करते समय पति के स्थान पर पिता का नाम दर्ज करने के कारण मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मीरा पत्नि रामेश्वरलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल में सायला का नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा देवासर के खाता की सायल खातेदार काश्तकार है जिसमें सायला का नाम मीरा पुत्री खेमाराम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में सायला का नाम मीरा पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है तथा सायला मीरा खेमाराम की पुत्री एवं रामेश्वरलाल की पत्नी है सायला समस्त रिकार्ड में ऐकरुकता करने के लिये अपने पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम करवाना चाहती है जिसे संशोधन करने की अभिशंषा भी तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा की गई है सायला अपने पिता के स्थान पर पति का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों एवं तहसीलदार नोहर की अभिशंषा के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा न0. 616/577 की 3.5010हैक , 617/577 की 2.2530हैक भूमि में सायल का नाम मीरा पुत्री खेमाराम के स्थान पर मीरा पत्नि रामेश्वरलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 7/8/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपर्युक्त अधिकारी (राजस्व)
उप-उपर्युक्त अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/136LR/11

दिनांक :- 7.8.20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 11/2020 अनवानी मीरा बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-

अनवान :-

1. मीरा पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन झेदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 11/2020 अनवानी मीरा बनाम सरकार में दिनांक 7/8/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 216/216 के खसरा नं. 616/577 की 3.5010 हैक् , 617/577 की 2.2530 हैक् भूमि में सायल का नाम मीरा पुत्री खेमाराम के स्थान पर मीरा पत्नि रामेश्वरलाल संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)